कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

दूरभाष क्रमांक 07868–223679, फैक्स क्रमांक 07868–241491 ई–मेल– kanker.court@nic.in

//दावा आपत्ति का निराकरण//

क्रमांक– क /दो–5–1/2026 **कांकेर, दिनांक 28.11.2026**

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का विज्ञापन कमांक 841/दो–5–1/2026(92 ए) कांकेर दिनांक 22.07.2026 जारी कर इस कार्यालय हेतु तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहायक ग्रेड–03 (संवर्ग) के 07 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु दिनांक 29.11.2026 को कौशल परीक्षा आयोजित किया जाना है।

कार्यालय में ई–मेल आईडी **kanker.court@nic.in** में अभर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए है, जिनका निराकरण निम्नानुसार किया गया है:–

आवेदकः–

01. टिकेश्वर निषाद, रोल नं. AG03–619:–

आप के द्वारा अपने कौशल परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को पुनः जांच करने का निवेदन तथा अनुसूचित जाति वर्ग के नाम को अनारक्षित सूची में कैसे जोडा गया के संबंध में जानकारी चाही गई है।

आप के आवेदन पर विचार किया गया है, उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया गया जिसमें आप के अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नही है।

छत्तीसगढ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम 2023 के भाग–03 "भर्ती" नियम 06– भर्ती का तरीका के अनुसार अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 में दर्शित पदों हेतु प्रतियोगी लिखित परीक्षा उपरांत कौशल परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के सम्माननीय न्यायदृष्टांत **सुनीता मीना विरूद्ध उच्च न्यायालय राजस्थान व अन्य डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 1244/2022** के पैरा 34 में यह अवधारित किया गया है कि-

34".....the rule of migration of reserved category candidate from his/her own category to general category to be placed in the merit list would be applicable while preparing final merit list and not when the exercise of shortlisting of candidates categorywise is done at the stage of screening by way of preliminary examinations.....

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सम्माननीय न्यायदृष्टांत **महेश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ Natural Citations 2025 CGHC 18997-DB, WA No. 272 of 2025** के मामले में सम्माननीय न्यायदृष्टांत इन्द्रा साहिनी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [1999 Supp.(3) SCC 217], दीपेन्द्र यादव एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश एवं अन्य [(2024) SCC OnLine 724], पुष्पेन्द्र कुमार पटेल वगैरह विरूद्ध हाई कोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश 2023 SCC OnLine MP 12, सौरव यादव वगैरह विरूद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. वगैरह [2021 (4) SCC 542] आदि सम्मानीय न्यायदृष्टांतों पर विचार करने के उपरांत यह अवधारित किया है कि सहायक ग्रेड-3 की भर्ती परीक्षा हेतु 50 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रथम चरण की परीक्षा, आगामी चरण के कौशल परीक्षा हेतु केवल पात्र अभ्यर्थियों के शार्ट लिस्टिंग एवं स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है। उक्त परीक्षा का उद्देश्य केवल कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को आईडेंटीफाई करना है, जिसमें वर्टीकल रिजर्वेशन की प्रक्रिया लागू किया जाना आवश्यक नहीं है।

उक्त सम्माननीय न्यायदृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि इस स्थापना द्वारा भी सीधी भर्ती हेतु आयोजित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों के Short Listing हेतु अपनाई गई Screening प्रकिया थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अनुसार 01 पद पर 15 के अनुपात में अभ्यर्थियों को एवं अंतिम अभ्यर्थी के सामान अंक होने से उन सभी अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के अनुसार बुलाया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापन में कोई भी पद चिन्हांकित नही था, जिससे उक्त वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित करते हुए संशोधित वरीयता सूची जारी किया गया है। अभ्यर्थी आसमा बेसरा एवं सोनिका मेश्राम अनारक्षित वर्ग में चिन्हाकिंत होकर अनारक्षित वर्ग की वरीयता सूची में सम्मिलित है।

कौशल परीक्षा के परिणाम में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार आप के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

02. बंटी सिंह ठाकुरः– (दो आवेदन)

आपके द्वारा प्रेषित आवेदन में इस स्थापना द्वारा निर्धारित किये गये कौशल परीक्षा तिथि दिनांक 29.11.2026 के स्थान पर अन्य तिथि दिये जाने का निवेदन किया गया है जिसे विचारोपरांत निरस्त करते हुए निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है।

28-11-2026

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)